

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय
 महानदी भवन, नया रायपुर
 // आदेश //

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्रमांक-एफ-2-39/2014/सात-2--राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नलिखित तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार (SLR) को प्रशासनिक/स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये कालम-4 अनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्रमांक	तहसीलदार का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
01	02	03	04	05
01	श्री कैलाश वर्मा	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर	रायपुर, जिला-रायपुर	स्वयं के व्यय पर
02	श्री हेमंत मत्स्यपाल	जिला-रायपुर	धमतरी, जिला-धमतरी	प्रशासनिक
03	श्री पी.सी.कोरी	जिला-बलौदाबाजार	बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	स्वयं के व्यय पर
04	श्री अतुल शेते	डभरा जिला जांजगीर चांपा	रायगढ़, जिला-रायगढ़	प्रशासनिक
05	श्री अतुल विश्वकर्मा	जिला-धमतरी	महासमुंद, जिला-महासमुंद	प्रशासनिक
06	श्री यू.एस.अग्रवाल	जिला-कवर्धा	दुर्ग, जिला-दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
07	श्री रूपेश वर्मा	पाटन जिला दुर्ग	कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख रायपुर	प्रशासनिक
08	श्री बालेश्वर राम	जिला-बलरामपुर	सरगुजा, जिला-सरगुजा	स्वयं के व्यय पर
09	श्री देवेन्द्र केशरवानी	जिला-बिलासपुर	पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर	प्रशासनिक
10	श्री संदीप ठाकुर	अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	सीपत जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय पर
11	श्रीमती यामिनी पांडे गुप्ता	जिला-बस्तर	गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	प्रशासनिक
12	श्री गौरीशंकर नाग	जिला-गरियाबंद	कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव	स्वयं के व्यय पर
13	श्री एस.आर. सिदार	जिला-जांजगीर	हसौद, जिला-जांजगीर-चांपा	प्रशासनिक
14	श्री श्याम सुंदर दुबे	कोटा जिला बिलासपुर	जिला-नारायणपुर	प्रशासनिक
15	सुश्री रजनी भगत	जिला-कोण्डागांव	सुकमा, जिला-सुकमा	प्रशासनिक
16	श्री दुलीचंद बंजारे (प्रभारी तहसीलदार)	जिला-महासमुंद	जिला-बीजापुर	प्रशासनिक



क्रमशः.....02


17	श्री एच.एल.गायकवाड़	जिला—बीजापुर	जिला—महासमुंद	स्वयं के व्यय पर
18	श्री बी.आर.साहू	जिला—जशपुर	जिला—राजनादगांव	स्वयं के व्यय पर
19	श्री गौतम प्रधान	आरंग, जिला—रायपुर	भाटापारा, जिला—बलौदाबाजार	प्रशासनिक

2/ उपरोक्त तहसीलदारों को निर्देशित किया जाता है, कि पदस्थापना जिला पर आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले तहसीलदार के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3/ संबंधित कलेक्टर, का दायित्व होगा कि स्थानांतरित तहसीलदारों को पदस्थापना जिले के लिए तत्काल भारमुक्त करें (15 दिवस में भारमुक्त नहीं किए जाने पर स्वतः भारमुक्त समझा जावे) तथा भारमुक्ति आदेश की प्रति विभाग को फैक्स नं.— 0771-2510122 एवं E-Mail-ID revenue.cg@nic.in पर भेजना सुनिश्चित करें।

3/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(चन्द्रकान्त उइके)
संयुक्त सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक—एफ—2—40 / 2014 / सात—2

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2014

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर.
 2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर.
 3. संभागीय आयुक्त रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा छत्तीसगढ़.
 4. संबंधित कलेक्टर, छत्तीसगढ़. कृपया संबंधित तहसीलदारों को आदेश प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करें।
 5. संबंधित कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़.
 6. सर्व संबंधित तहसीलदार द्वारा कलेक्टर.
 7. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग